राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक–एफ.15(6)(13)विधि/ आईसीडीएस/2013/21716135-772 जयपुर, दिनांकः 21/12/18

प्रभारी अधिकारी (वाद) एवं
समस्त उपनिदेशक, मबावि/
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

विषयः– दिनांक 08.12.2018 के स्थान पर दिनांक 12.01.2019 को आयोजित पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नोडल अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, विधि का पत्र दिनांक 03.12.2018 की प्रति संलग्न कर लेख है कि दिनांक **08.12.2018 के स्थान पर दिनांक 12.01.2019** को पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यदि आपके कार्यालय से संबधित प्रकरण निस्तारण हेतु लोक अदालत में रखा गया हैं तो संबंधित प्रकरण की पत्रावली मय पूर्ण दस्तावेज सहित आज ही निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं से सम्पर्क कर तथा लोक अदालत में उपस्थित रहकर आवश्यक सहयोग करे। उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें, ।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ.15(6)(13)विधि/ आईसीडीएस/2013/21773-788 जयपुर, दिनांकः 21/12/18

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
4. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आप नियत दिनांक को साथ रहकर आवश्यक सहयोग करे।
5. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक जोधपुर को भेजकर लेख है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में नियत दिनांक को साथ रहकर सूचीबद्ध प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिवक्ता व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक आगामी कार्यवाही करावे।
6. एसीपी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

Dir., ECOS/ C, WE
06-12-2018

5034
06/12/18

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि–2/विरसं.(115)/2017/ 995 जयपुर, दिनांक : 03/12/18

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,

विषयः– दिनांक 08.12.2018 के स्थान पर दिनांक 12.01.2019 को पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने बाबत्।

सन्दर्भः–प्राधिकरण का आदेश क्रमांक एफ–4(168)RSLSA/SS/NLA-V/2018/658 दिनांक 30.11.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं प्री–लिटिगेशन के मामलों के लिए दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 को आयोजित होने वाली पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 जनवरी, 2019 को आयोजित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने–अपने विभागों के न्यायालय में लम्बित मामलों के संबंध में व ऐसे मामलों के संबंध में जिनका निस्तारण प्री–लिटिगेशन के माध्यम से हो सकता है, के संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाये। कार्य योजना के तहत राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित करें, उनके संबंध में संबंधित पक्षकारों के साथ लोक अदालत से पूर्व बैठक कर राजीनामे के बिन्दु तय करे तथा चिन्हित प्रकरणों की संख्या के अनुरूप राज्य के समस्त न्यायालयों में ऐसे सक्षम/अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जो प्रकरणों में राजीनामा करने में सक्षम हो। राजीनामा योग्य चिन्हित प्रकरणों की सूची यथाशीघ्र न्यायालयों में प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुरोध करे कि चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारों को लोक अदालत के लिए नोटिस जारी करें। नियुक्त अधिकारी को पाबंद करें कि वे आवश्यक रुप से लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रह कर लोक अदालत की कार्यवाही में सहयोग करें ताकि राजीनामा योग्य/लघु प्रकरणों के मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। जिससे राज्य सरकार के विरुद्ध लम्बित विवाद सदैव के लिए समाप्त हों एवं समय, श्रम एवं धन की बचत होने के साथ–साथ न्यायालयों में लम्बित विवादों का निस्तारण हो सकें।

यह भी अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें। साथ ही चिन्हित प्रकरणों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी प्रेषित कराने का श्रम करें।

संलग्न :
1. **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र दिनांक 30.11.2018 की प्रति।**
2. **मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.09.2018।**

भवदीय

(संजय कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव,विधि
(वि.र.स)

1-5

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385031, 2227555, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: [illegible] website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक: एफ–4(168)/RSLSA/SS/NLA-V/2018/34596-34685 दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. श्रीमान् मुख्य सचिव एवं रजिस्ट्रार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निजी सचिव, श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.13 (1)ला.प्र. /विधि/गृह–10/2016 जयपुर दिनांक 22.11.2018 के क्रम में।
8. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, श्रीमान् निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
10. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
15. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. विशिष्ट शासन सचिव, (गृह) एवं निदेशक, अभियोजन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.), एवं मोडल ऑफीसर, राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्थान सरकार, जयपुर।
20. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
21. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
22. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
23. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
24. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
25. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
26. अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
27. जनरल मैनेजर, बी.एस.एन.एल।
28. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, राजस्थान।
29. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बीमा कम्पनी, राजस्थान।
30. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली।

30.11.2018

(निहाल चन्द)

विशेष सचिव

राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

2

"Help the Needy, Timely Help May Create History"

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX. 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: [illegible] website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक: एफ-4(158)/RSLSA/SS/NLA-V/2018/ 658 दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

-:: आदेश ::-

राजस्थान विधान सभा चुनाव दिनांक 07.12.2018 को मध्यनजर रखते हुए, राजस्थान सरकार के आग्रह पर एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 08.12.2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि सम्पूर्ण राजस्थान के न्यायालयों में (माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर एवं अन्य समस्त अधिकरण सम्मिलित हैं) राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 के स्थान पर अब दिनांक 12.01.2019 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित की जावेगी। अतः इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान एवं सचिव राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर से अनुरोध किया जाता है कि समस्त प्रकरणों में जिनमें प्रि-काउन्सलिंग में समझौता होने के उपरान्त जिन प्रकरणों को दिनांक 08.12.2018 हेतु नियत किया गया है, उन प्रकरणों को अब दिनांक 12.01.2019 के लिए नियत किया जावे। परन्तु अन्य सभी प्रकरण यदि दिनांक 12.01.2019 से पूर्व न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है और सुनवायी नियत है तो सुनवायी की तिथि में नियत किये जाने के बाद के पश्चात पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किये जावें। यदि न्यायालय में सुनवायी की तिथि 12.01.2019 के पश्चात की है तो दिनांक 12.01.2019 को सीधे राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष नियत करें।

(2) जो प्रकरण दिनांक 08.12.2018 की राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किये गये थे, उन्हें दिनांक 12.01.2019 की राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जावें । पूर्व में दिये गये अन्य दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे।

(3) न्यायालय से रैफर किये गये समस्त प्रकरणों में दिनांक 08.12.2018 के लिए नोटिस जारी किये गये थे, उनमें पुनः दिनांक 12.01.2019 के लिए नोटिस जारी किये जावें और उनकी तामील सुनिश्चित की जावे।

(4) समस्त पक्षकारों, अधिवक्तागण एवं सम्बन्धित पक्षकारों से आग्रह है कि वे दिनांक 08.12.2018 के स्थान पर दिनांक 12.01.2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर सहयोग प्रदान करें ।

(5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान से आग्रह है कि वे जिला स्तर पर पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारियों विशेषतया पीठासीन अधिकारी, एम.ए.सी.टी.; न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय; न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण.; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि न्यायालयों का सहयोग लेना सुनिश्चित करें, प्रि-काउंसलिंग को जारी रखे तथा अधिक से अधिक प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

30/11/18

(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव

3

358

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि-2/विविध (118)/2017/ जयपुर दिनांक : 29/09/18

:: परिपत्र ::

न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को नियंत्रित व कम करने के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसकी सफलता में संबंधित सरकारी विभागों का सहयोग एवं योगदान आवश्यक है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.12.2018 को आयोजित की जायेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम-विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।

सभी संबंधित विभाग लोक अदालत आयोजित करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19.09.2018 के दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों की कार्य योजना तैयार करें और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत से कराने का हर संभव प्रयास करेंगे।

अतः लोक अदालत/मीडियेशन कार्यवाही में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय व सहयोग सुनिश्चित करने, उनकी कठिनाईयों का निवारण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव एवं प्रगति रिपोर्ट यथा समय प्रेषित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संलग्न : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
द्वारा जारी पत्र क्रमांक 27085-27102
दिनांक 19.09.2018 की प्रति।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव